



C.F. 13-213

श्री

(12)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कैप्प हन्दौर के समदा

राजस्व निग० प्रकरण क्र० 113

प्रस्तुति दिनांक 23/1/13

R - 397 - PB/13

रामचन्द्र पिता गोखनजी माली,
पता- श्रीमिक कालौनी, २०३० रोड,
राज, हन्दौर (म०प्र०) --- --- प्राथी

श्री अंबदेश कुमार
उभिराधक द्वारा
आज दिनांक 23-1-13
को इन्हें कैप्प प्रभु भगवत् विरुद्ध

GMD
23-1-13

मैसरै गोकुल फार्म हाऊस,
द्वारा मुरली पिता ज्ञानचन्द्रजी मंधानी,
पता- ३३- बी, प्रैमनगर, हन्दौर --- --- प्रतिप्राथी

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० मू राजस्व संहिता

28-1-13

श्रीमान के समदा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय - अतिरिक्त तहसीलदार
श्री लाखनसिंह चौधरी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक १५५। अ-६।
। २०१०- ११ (मुरली व अन्य — विरुद्ध -- रामचन्द्र) में
पारित आदेश दिनांक २४- १२- २०१२ से असन्तुष्ट होकर प्राथी
द्वारा प्रतिप्राथी के विरुद्ध निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :-

[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 397-पीबीआर/13

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री जी.एस. भाटिया, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री राकेश पवार, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है ।</p> <p> राजस्व मण्डल, ग्वालियर</p> <p> अध्यक्ष</p>	